



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2340 वर्ष 2026

सारिका

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :
के अधिवक्ता :

प्रतीक मिश्रा, सिद्धार्थ बघेल
जी.ए.

प्रतिवादी(यों)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनी गईं।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उचित समय पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं।
3. उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

4 फरवरी, 2026

आर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"